हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

17/3/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। बावजुद सम्यक तामील प्रतिवादी अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लायी जा चुकी हैं। बहस पूर्व सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादी के नाम राजस्व ग्राम नाथा की नांगल तह. नीमकाथाना में खातेदारी भूमि हैं। वादी का सही नाम रामरतन सैनी पुत्र गाडाराम हैं। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रतनलाल पुत्र गाडा दर्ज कर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनमें वादी रामरतन पुत्र गाडाराम है। वाद पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वंय एवं गवाह मुकेश कुमार सैनी पुत्र हनुमान प्रसाद, सह खातेदार ज्ञानचन्द पुत्र गाडाराम के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य मुकेश कुमार सैनी पुत्र हनुमान प्रसाद, सह खातेदार ज्ञानचन्द पुत्र गाडाराम के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रतनलाल पुत्र गाडा अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही नाम रामरतन पुत्र गाडाराम हैं की पुष्टि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रतियां एवं बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, स्वंय एवं साक्ष्य गवाहान के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:59:30 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि पटवार हल्का नाथा की नांगल तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 23 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम **रतनलाल पुत्र गाडा** के स्थान पर **रामरतन पुत्र गाडाराम** दर्ज किया जाकर राजस्व

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:59:30 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना